न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 23/2016 प्रार्थना पत्र

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, भीलवाड़ा **बनाम** श्री सुशील कुमार पिता सुवालाल हींगड़/जैन निवासी वार्ड नं0 4,पुर भीलवाड़ा।

——प्रार्थी **——विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः— विभागीय पेरोकार, प्रार्थी की ओर से
श्री ललित कुमावत ,अधि0 विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 02/05/ **2017**

यह प्रकरण न्यायालय माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 भीलवाड़ा के पत्रांक 274 दिनांक 30.08.2016 से प्रकरण संख्या अपील फौजदारी 51/2014 सुशील कुमार हींगड़(जैन) बनाम सरकार निर्णय दिनांक 29 अगस्त,2016 से इस न्यायालय के प्रकरणसंख्या 10/2012 निर्णय दिनांक 26.07.2012 को अपास्त करते हुए इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ख के तहत लिखित सूचना अपीलार्थी(विपक्षी) को देवें व साक्ष्य एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समुचित सुनवाई करते हुए अजसरे निर्णय पारित करें।

अपील पत्रावली न्यायालय से प्राप्त होने पर दिनांक 2.12.2016 को पुनः पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये सूचना—पत्र जारी किये गये। विपक्षी की ओर से प्रकरण में अभिभाषक ने उपस्थित होकर दिनांक 18.01.2017 को साक्ष्य में दस्तावेज शपथ—पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं विपक्षी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए । दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना—पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि सुभाषनगर भीलवाड़ा में मकान नं0 सी—312 में बने गेराज पर पहुंचे, मौके पर विपक्षी सुशील कुमार उपस्थित मिले जिन्होंने उक्त गेराज किराये पर लेना बताया गया। गेरेज में एक गैस रिफलिंग मोटर दो गैस भरने की नलियां व विद्युत तार पाये गये तथा गैस रिफलिंग मोटर विद्युत स्वीच से जुड़ी पाई गई। विपक्षी सुशील कुमार ने उक्त मकान स्वयं का होना बताया, मौके पर विपक्षी सुशील कुमार ने कोई संतोषप्रद जवाब पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मोटर का उपयोग वाहनों में गैस भरने हेतु किया जाता है और विपक्षी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस(मोटर यानों में उपयोग का

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विनिमय) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

प्रश्नगत प्रकरण में जब्त सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूची में गैस को सम्मिलित किया है परन्तु प्रार्थी के द्वारा गैस से भरा सिलैण्डर या खाली सिलैण्डर जब्त नहीं किया बल्कि मोटर व नलियां आदि जब्त की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आती है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 क के अन्तर्गत जो सामग्री जब्त की वो शीघ्र खराब/नष्ट होने वाली हो जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक हो। इस सम्बन्ध में प्रकरण में संलग्न जब्त सामग्री की फर्द अभिग्रहण दिनांक 9.07.2011 में अंकित सामग्री एक गैस रिफिलिंग मशीन मय दो गैस नलियां व विद्युततार किट है जो शीघ्र खराब/नष्ट होने वाली सामग्री नहीं है। ऐसी स्थिति में जब्त सामग्री जिसकी सिपुर्दगी में है उसके पास यथावत रहने दिया जाना उचित समझते हैं। वर्तमान में मूल प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/7 न्यायालय माननीय सिविल न्यायाधीश संख्या 3 भीलवाड़ा में विचाराधीन है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत अस्वीकार करते हुए दिनांक 09.07.2011 को विपक्षी से जब्त की गई गैस रिफलिंग मशीन मय दो गैस नलियां तथा विद्युत तार किट जो विमल डिस्ट्रीब्यूटर, भीलवाड़ा के कर्मचारी श्री उदयलाल पिता मिठूलाल सुवालका नि0 गुरला की सिपुर्दगी में है उसे न्यायालय माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3 भीलवाड़ा में विचाराधीन मूल प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/7 के निस्तारण तक यथावत सिपुर्दगार के पास रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा